सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन , 1943 (श०)

संख्या-513 राँची, मंगलवार, 5 अक्टूबर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

21 सितम्बर, 2021

कृपया पढ़े :-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश संख्या-9756, दिनांक-12.09.2017,पत्रांक-10458,दिनांक-09.10.2017,पत्रांक-276, दिनांक-09.01.2018, पत्रांक-1997, दिनांक-19.03.2018, संकल्प संख्या-7175, दिनांक- 24.09.2018 एवं पत्रांक-6452, दिनांक-11.12.2020 ।
2. उपायुक्त, राँची का पत्रांक-2016(ii), दिनांक-22.12.2017, पत्रांक-1261(ii),दिनांक- 03.08.2018 एवं पत्रांक-724(ii), दिनांक-22.03.2019 ।
3. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-253 (अनु०), दिनांक-18.12.2018 ।

संख्या-12/आरोप-10-03/2017 का०-4993--श्री दीपक कुमार वर्मा, आप्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची (सम्प्रति निलंबित) के द्वारा बिरसा मुण्डा विमानपतन विस्तारीकरण परियोजना के अंतर्गत ग्राम-हेथु के अर्जित भूमि (खाता सं०-14, खेसरा सं०-1300, रकबा-0.24 एकड़) के विरूद्ध अवैध तरीके से धोखाधड़ी पूर्वक केनरा बैंक के ड्राफ्ट संख्या-704357, दिनांक-26.03.2015 के माध्यम से रूपये 20,38,418 (बीस लाख अड़तीस हजार चार सौ अठारह रूपये मात्र) मुआवजा राशि के

रूप में प्राप्त की गई राशि के संबंध में श्री सुरजीत कुमार सिंह, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक-1398, दिनांक-31.12.2015 द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आधार पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या-9756, दिनांक-12.09.2017 के द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया है ।

2. तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक-1398, दिनांक-31.12.2015 के द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में निलंबन के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-10458, दिनांक-09.10.2017 द्वारा उपायुक्त, राँची से श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र-'क' गठित करने के निमित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

3. उपायुक्त, राँची के पत्रांक-2016(ii), दिनांक-22.12.2017 के द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आधार पर निम्नांकित आरोप प्रपत्र-'क' में गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-276, दिनांक-09.01.2018 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । श्री वर्मा, आप्त सचिव के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों का विवरण निम्नवत् है:-

<u>(क) आरोप संख्या-01</u>:- -श्री दीपक कुमार वर्मा, आप्त सचिव (सम्प्रति निलंबित) द्वारा तथ्यों को छिपाकर दिनांक-19.03.2015 को ग्राम-हेथु में आयोजित शिविर में बिरसा मुण्डा विमानपतन विस्तारीकरण परियोजना के अंतर्गत ग्राम-हेथु के अर्जित भूमि (खाता सं०-14, खेसरा सं०-1300, रकबा-0.24 एकड़) के विरूद्ध केनरा बैंक के ड्राफ्ट संख्या-704357, दिनांक-26.03.2015 के माध्यम से रूपये 20,38,418 (बीस लाख अड़तीस हजार चार सौ अठारह रूपये मात्र) उक्त भूमि की मुआवजा राशि के रूप में अवैध तरीके से धोखाधड़ी पूर्वक प्राप्त किया गया है, जिसके वे हकदार नहीं थे ।

<u>(ख) आरोप संख्या-02:-</u> श्री दीपक कुमार वर्मा, आप्त सचिव (सम्प्रति निलंबित) द्वारा किया गया उक्त कार्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है ।

4. श्री वर्मा के द्वारा उपर्युक्त गठित अरोपों के विरूद्ध दिनांक-24.01.2018 को समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1997, दिनांक-19.03.2018 (सहपठित शुद्धि पत्र ज्ञापांक-3580, दिनांक-28.05.2018) के द्वारा विभागीय कार्रवाई संचालित करने के निमित उपायुक्त, राँची से मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा विभागीय पत्रांक-2701, दिनांक-24.04.2018, पत्रांक-3524, दिनांक-25.05.2018, पत्रांक-4726, दिनांक-27.06.2018 एवं पत्रांक-5455, दिनांक-20.07.2018 के द्वारा स्मारित किए जाने के पश्चात उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1261(ii), दिनांक-03.08.2018 के द्वारा श्री वर्मा के स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार प्रतिवेदन अपने मंतव्य में उनके तथ्यों को अस्वीकार करते हुए उपलब्ध कराया गया ।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-7175, दिनांक-24.09.2018 के द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाए जाने के आधार पर उक्त आरोपों की जांच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निर्णय लेते हुए श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त (भा०प्र०से०) विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है ।

6. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-253, दिनांक-18.12.2018 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के संबंध में साक्ष्य, आरोपी का बचाव बयान एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में अपने निष्कर्ष में श्री वर्मा के विरूद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया ।

7. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक-455(ii), दिनांक-02.02.2019 के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया गया की श्री वर्मा द्वारा प्राप्त की गयी मुआवजे की राशि 20,38,418/-रू० चेक के माध्यम से जमा किया गया है ।

8. उपायुक्त, राँची के पत्रांक-724(ii), दिनांक-12.03.2019 द्वारा विभागीय पत्रांक-1908, दिनांक-28.02.2019 के आलोक में श्री वर्मा द्वारा अवैध तरीके से धोखाधड़ी पूर्वक प्राप्त की गयी मुआवजे की राशि 20,38,418/-रू० पर चक्रवृद्धि ब्याज दिनांक-26.03.2015 से दिनांक-25.03.2018 तक 18% एवं दिनांक-26.03.2018 से दिनांक-10.05.2018 तक 10.5% की दर से कुल राशि 37,00,850.53/-रू० की गणना की गयी है, जिसमें 20,38,418/-रू० जमा किए जाने के पश्चात अवशेष राशि 16,62,433/-रू० वसूलनीय प्रतिवेदित की गयी, जिसकी अदायगी श्री वर्मा द्वारा अब तक नहीं किए जाने की स्थिति में वसूलनीय सूद की राशि में अभिवृद्धि संभावित है ।

9. श्री वर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आधार पर दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-6452, दिनांक-11.12.2020 द्वारा श्री वर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा एक पक्ष के अंदर समर्पित करने हेतु किए गए अनुरोध के आलोक में उनके द्वारा दिनांक-28.12.2020 को द्वितीय कारण पृच्छा का स्पष्टीकरण एवं दिनांक-04.01.2021 को पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें कोई प्रमाणित साक्ष्य सहित नए तथ्यों का समावेश नहीं किया गया ।

10. श्री दीपक कुमार वर्मा, निलंबित आप्त सचिव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुये जांच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में सिद्ध दोष के आधार पर समीक्षोपरांत अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में श्री दीपक कुमार वर्मा, निलंबित आप्त सचिव को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

(क) झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-14(viii) के तहत श्री दीपक कुमार वर्मा को आप्त सचिव कोटि से निजी सहायक कोटि के न्यूनतम प्रक्रम (9300-34,800, ग्रेड पे-4600, पुनरीक्षित वेतनमान, पे मैट्रिक्स लेवल-07,44,900-1,42,400) में पदावनत किया जाता है ।

(ख) श्री वर्मा को निजी सहायक (9300-34,800, ग्रेड पे0-4600, पुनरीक्षित वेतनमान, पे मैट्रिक्स लेवल-07, 44,900-1,42,400) में पदावनत की अवधि 07 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियमानुसार विचार किया जा सकेगा ।

(ग) झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पदधारकों की वरीयता सूची की मूल वरीयता में श्री वर्मा की वरीयता अप्रभावित रहेगी ।

11. श्री दीपक कुमार वर्मा, निलंबित आप्त सचिव से वसूलीनय सूद की राशि की गणना एवं वसूली (वेतन से किस्तों में कटौती) के बिन्दु पर वित्त विभाग की सहमति के उपरांत वसूली की कार्रवाई की जायेगी ।

12. श्री दीपक कुमार वर्मा, निलंबित आप्त सचिव को निलंबन से मुक्त करते हुये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया जाता है। अपराधिक वाद संख्या-4113/2015 में पारित न्याय निर्णय के पश्चात निलंबन अवधि का विनियमन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री दीपक कुमार वर्मा, आप्त सचिव (सम्प्रति निलंबित), मुख्यालय-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 513 -- 50